रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/42.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनियों के लिए संबद्ध आचरण संहिता) विनियम 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनियों के लिए संबद्ध आचरण संहिता) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नए विनियम 5क को सम्मिलित करना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनियों के लिए संबद्ध आचरण संहिता) विनियम, 2008 के विनियम 5 के बाद, निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए, नामत:

"5क. कानूनी रूप से पृथक होने की मात्रा

सामान्य वाहक या संविदा वाहक आधार पर प्राकृतिक गैस का विपणन करने और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने दोनों कार्य करने वाली कंपनी 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले एक पृथक कानूनी कंपनी बनाएगी ताकि प्राकृतिक गैस के परिवहन के कार्यकलाप ऐसी पृथक कानूनी कंपनी द्वारा चलाए जाएं और पहले प्रयोग का अधिकार कानूनी रूप से पृथक ऐसी कंपनी की संबद्धता के लिए उपलब्ध हो. .".

के. राजेश्वर राव , ओएसडी (आर)

[विज्ञा. III/4/असा./188/13]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 21 (पहले प्रयोग का अधिकार) के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड को ऐसी कंपनी की आवश्यकता होगी जो प्राकृतिक गैस के विपणन तथा उसके परिवहन, दोनों कार्यकलाप कार्य कर रही हो ताकि इन कार्यकलापों को पृथक किया जा सके, जिनमें पाइपलाइनों के मालिकाना अधिकार को पृथक करना शामिल हो सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2009 के अंतर्गत, ऐसे मामले जहां प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस के परिवहन के कार्यकलापों को पृथक कंपनियों द्वारा चलाया जाता है, वहां पाइपलाइन के प्रथम उपयोग का अधिकार तब तक ट्रांसपोर्टर की संबद्ध कंपनी को उपलब्ध रहेगा, जब तक मालिकाना अधिकार (प्रबंधकीय स्वामित्व) पृथक नहीं हो जाता। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनियों के लिए संबद्ध आचरण संहिता) विनियम 2008 के अंतर्गत परिवहन कंपनी और इसकी विपणन संबद्धता के बीच अधिकार और बाध्यता निर्धारित की गई है।

2. बोर्ड ने प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन कार्यकलापों को नियंत्रणमुक्त करने का अवधारणा पेपर जारी करने और तत्पश्चात् सार्वजनिक परामर्श और चर्चा करने के बाद, पृथक कानूनी कंपनियों का सृजन करके दिनांक 31.03.2017 को या उससे पूर्व प्राकृतिक गैस का विपणन करने तथा गैस के परिवहन हेतु पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी को कानूनी रूप से पृथक करने का निर्णय लिया है ताकि प्राकृतिक गैस के परिवहन कार्यकलाप को ऐसी पृथक कंपनी द्वारा किया जा सके और प्रथम उपयोग का अधिकार ऐसी कानूनी रूप से पृथक कंपनी को उपलब्ध होना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के अंदर कानूनी पृथकता का आदेश देने की प्राथमिक शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

(i) गैस परिवहन कंपनियों और उनके ग्राहकों के बीच आर्म्स लेंथ लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है जिससे उचित और प्रतिस्पर्धी गैस परिवहन बाजारों का विकास होगा।

(ii) यह उचित और सही परिवहन टैरिफ का निर्धारण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

(iii) "विजन 2030" - भारत में प्राकृतिक गैस आधारभूत ढांचा" नामक रिपोर्ट में निहित अध्ययनों के आधार पर परिवहन आधारभूत ढांचा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्रोतों और इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन की लंबाई, मात्रा, उपलब्धता के संकेतक दर्शाते हैं कि बाजार परिपक्वता 2016-17 में शिखर पर होगी। इसलिए, कंपनी के अन्य कार्यकलापों से परिवहन कार्यकलापों की कानूनी रूप से पृथकता सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए तालमेल बनाना होगा।

(iv) चूंकि कानूनी पृथकता करने में प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, कराधान और कानूनी मुद्दे उठेंगे, अत: कंपनियों को इन मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त समयावधि (31.03.2017 तक) दिए जाने की आवश्यकता है।

3. तदनुसार विनियमों में प्रस्तावित संशोधन यह आदेश देता है कि प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन, दोनों कार्य करने वाली किसी कंपनी को 31 मार्च, 2017 को यह उससे पहले एक पृथक कानूनी कंपनी बनाया जाए ताकि प्राकृतिक गैस के परिवहन के कार्यकलाप को ऐसी पृथक कानूनी कंपनी द्वारा किया जा सके और प्रथम उपयोग का अधिकार कानूनी रूप से पृथक ऐसी कंपनी की संबद्धता के लिए उपलब्ध हो।

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को सा.का.नि. 540(अ) दिनांक 17-07-2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the19th February 2014

F. No. PNGRB /M(C)/42.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations 2008, namely:—

1. Short title and commencement.
 (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2014.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new regulation 5A.
 After regulation 5 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008, the following shall be inserted, namely:—

 "5A. Degree of Legal separation.
 An entity engaged in both marketing of natural gas and laying, building, operating or expanding pipelines for transportation of natural gas on common carrier or contract carrier basis, shall, on or before the 31st day of March, 2017, create a separate legal entity so that the activity of transportation of natural gas is carried on by such separate legal entity and the right of first use shall be available to the affiliate of such separate legal entity.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/13]

Explanatory Memorandum

Under the provisions of section 21 (Right of first use) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006, the Board may require an entity which is carrying on both the activities of marketing of natural gas and its transportation to separate these activities which may include separation of the ownership of the pipelines. Under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Natural Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2009, in cases where the activities of marketing of natural gas and transportation of natural gas are carried out by separate entities, the right of first use of the pipeline will continue to be

available to the associate entity of the transporter till such time the separation of ownership (managerial ownership) takes places. Also, under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating, or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008 the rights and obligations between the transportation entity and its marketing affiliate have been laid down.

2. The Board after issuing a concept paper on the unbundling of marketing and transportation activities of natural gas and subsequent public consultation and deliberations, has decided to mandate legal separation of an entity engaged in marketing of natural gas and laying, building, operating or expanding pipelines for transportation of gas on common carrier or contract carrier basis on or before 31.03.2017 by creating separate legal entities so that the activity of transportation of natural gas is carried on by such separate legal entity and the right of first use shall be available to the affiliate of such separate legal entity. The primary considerations for mandating legal separation within the set timelines are:—

(i) It is an essential requisite for ensuring arms length transactions between gas transportation entities and their customers, thus leading to development of fair and competitive gas transportation markets.

(ii) It would be a step further towards determination of fair and accurate transportation tariffs..

(iii) Based on studies contained in the report titled "Vision 2030" - Natural Gas Infrastructure in India", the indicator of pipeline length, volumes, availability of natural gas from various sources and entities operating in the transportation infrastructure sector shows that market maturity would peak in 2016-17 therefore, synchronizing with the set timelines for ensuring legal separation of transportation activities from other activities of the entity.

(iv) Since administrative, financial, technical, taxation and legal issues would arise in performing legal separation, sufficient time period (upto 31.03.2017) needs to be allowed to entities for resolving such issues.

3. The proposed amendment to the Regulations accordingly mandates that an entity engaged in both marketing and transportation of natural gas shall, on or before the 31st day of March 2017, create a separate legal entity so that the activity of transportation of natural gas is carried on by such separate legal entity and the right of first use shall be available to the affiliate of such separate legal entity.

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 540(E) 17-07-2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.